न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 12/05/2018

हरियाणा एक्सप्लोसिव प्राईवेट लि0 524, 525 सोमदत्त चैम्बर 11–9 भीखाजी कामा पैलेस नई दिल्ली जरिये प्राधिकृत प्रतिनिधि किशोर कुमार खेमानी पुत्र कन्हैया लाल खेमानी जाति सिन्धी हाल निवासी ऐ.आर.जी. अलवर .....अपीलान्ट

बनाम्

1. सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ
2. ग्राम पंचायत सरपंच राजपुर बडा जरिये सरपंच

.....रेस्पोडेन्ट

अपील नामा0 संख्या 836 वाके
राजपुर बडा तहसील राजगढ

उपस्थित : श्री मोहन लाल जैमन एड. अपीलान्ट

निर्णय दिनांक 28.08.2018

आज यह अपील वास्ते निर्णय हेतु पेंश हुई। सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि हाल आराजी ख0नं0 1494/0.01, 1495/0.10, 1499/0.03 वाके ग्राम राजपुर बडा तहसील राजगढ में स्थित है। उक्त आराजी का 2/3 हिस्सा का पूर्व से ही अपीलान्ट कम्पनी हरियाणा एक्सप्लोसिव प्रा0लि0 लि0 524, 525 सोमदत्त चैम्बर 11–9 भीखाजी कामा पैलेस नई दिल्ली खातेदार है तथा 1/3 हिस्से की आराजी का खातेदार रूढ सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपुर निवासी राजपुर बडा था। प्रार्थी अपीलान्ट कम्पनी द्वारा उक्त रूढ सिंह से 1/3 हिस्से की आराजी को खरीदने का सौदा कर लिया। खातेदार रूढ सिंह द्वारा अपीलान्ट कम्पनी के पक्ष में जरिये औथराईज परसन अब्दुल्ला रहमान पुत्र रहमान रसुला जाति मेव निवासी जी–98 लाल कुआ देहली के नाम बैयनामा तस्दीक करा दिया। यह है कि उक्त बैयनामा के इन्तकाल की कार्यवाही के दौरान पटवारी हल्का द्वारा कम्पनी द्वारा खरीदशुद्वा उक्त आराजी 1/3 हिस्से का नामान्तकरण संख्या 836 अब्दुल्ला रहमान पुत्र रहमान रसूला मेव हिस्सा 1/3 निजी 98 लाल कुआ देहली व मै0 हरियाणा एक्सप्लोसिव नर बसन्त कुन्ज नई दिल्ली 70 के नाम दर्ज कर दिया। जिसे सरपंच ग्राम राजपुर बडा द्वारा दिनांक 16.03.2010 को निर्णित किय गया है जो निर्णय काबिल निरस्त योग्य है। क्योकि अपीलान्ट कम्पनी द्वारा उक्त आराजी का क्रय किया गया है और कम्पनी द्वारा तत्कालीन अधिकृत प्रतिनिधि श्री अब्दुल्ला रहमान के खरीद किया था। इसलिये उक्त नामा0 कम्पनी के नाम दर्ज किये जाना चाहिये था। इस प्रकार संबंधित पटवारी व सरपंच द्वारा जो नामा0 दर्ज कर स्वीकार करने की कार्यवाही की गई काबिल निरस्त योग्य है। विलम्ब के लिये अपीलान्ट द्वारा पृथक से प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का पेंश किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 836 निर्णय दिनांक 16.03.2010 वाके ग्राम राजपुर बडा तहसील राजगढ जिला अलवर जो आराजी ख0नं0 1494/0.01, 1495/0.10, 1499/0.03 वाके ग्राम राजपुर बडा तहसील राजगढ का 1/3 हिस्से का दर्ज व स्वीकार किया गया है को निरस्त करते हुये पुनः प्रकरण तहसीलदार राजगढ को रिमाण्ड किया जाकर अब्दुल्ला रहमान का नाम हजब करते हुये अपीलान्ट कम्पनी मै0 हरियाणा एक्सप्लोसिव प्राईवेट लि0 524, 525 सोमदत्त चैम्बर 11–9 भीखाजी कामा प्लेस नई दिल्ली के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाया जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया है। वकील अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र आर्डर 6 रूल्स 17 जा0दी0 का पेंश किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पर ग्राम पंचायत राजपुर बडा जरिये सरपंच को पक्षकार बनाने का निवेदन किया। जिस पर बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सरपंच ग्राम पुचायत राजपुर बडा को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बनाये जाने की अनुमति दी गई। दिनांक 16.08.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सरपंच ग्राम राजपुर बडा उपस्थित न्यायालय आये तथा उनके द्वारा प्रकरण स्वीकार करने में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही होना अवगत कराया। वकील अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से कोई कार्यवाही नही चाहने का निवेदन किया।

बहस वकील अपीलान्ट सनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये उल्लेख किया की हाल ख0नं0 1494/0.01, 1495/0.10, 1499/0.03 वाके ग्राम राजपुर बडा तहसील राजगढ में स्थित है के 2/3 हिस्से की अपीलान्ट पूर्व से खातेदार है तथा 1/3 हिस्से को अपीलान्ट कम्पनी द्वारा खातेदार रूढ सिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया है। विक्रय पत्र कम्पनी द्वारा जरिये औथराईज परसन अब्दुल्ला रहमान पुत्र रहमान रसूला मेव निवासी जी–98 लाल कुआ देहली से कराया गया था। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर जो नामान्तरकरण संख्या 836 पटवारी हल्का व सरपंच द्वारा दर्ज कर निर्णित किया गया है वह गलत किया है क्योकि उक्त आराजी कम्पनी अपीलान्ट द्वारा क्रय की गई थी। जिसमें औथराईज परसन अब्दुल्ला रहमान का नाम नामा0 में दर्ज नही होना चाहिये था। इस प्रकार उक्त नामा0 की कार्यवाही काबिल निरस्त योग्य है। तथा प्रकरण को पुनः रिमाण्ड करते हुये आराजी का नामा0 क्रेता अपीलान्ट कम्पनी के नाम दर्ज किया जाना उचित हैं। सबूत में दस्तावेज नामा0 संख्या 836 वाके ग्राम राजपुर बडा नकल बैयनामा दिनांक 08.02.2010 व जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 व 2070 से 2075 पेंश की गई है। अतः में अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध बैयनामा दिनांक 09.02.2010 व नामा0 संख्या 836 का भी अवलोकन किया गया। जैसा कि बैयनामा दिनांक 09.02.2010 में आराजी हाल ख0नं0 1494/0.01, 1495/0.10, 1499/0.03 वाके ग्राम राजपुर बडा तहसील राजगढ का विक्रय पत्र खातेदार रूढ सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी राजपुर बडा तहसील राजगढ द्वारा 1/3 हिस्से का अब्दुल्ला रहमान पुत्र श्री रहमान रसूला मेव निवासी जी–98, लाल कुआ देहली औथराईज परसन मै0 हरियाणा एक्सप्लोसिव नीर बसन्त कुन्ज नई दिल्ली 70 के हक में पंजीकृत किया गया है। तथा जो नामा0 संख्या 836 दिनांक 16.03.2010 को उक्त विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज व स्वीकार हुआ है। वह अब्दुल्ला रहमान पुत्र श्री रहमान रसूला मेव निवासी जी–98, लाल कुआ देहली ऑथराईज परसन मै0 हरियाणा एक्सप्लोसिव नीर बसन्त कुन्ज नई दिल्ली 70 के नाम दर्ज व स्वीकार हुआ है। अपीलान्ट का जैसा कि अपील में कथन है कि आराजी का क्रय कम्पनी अपीलान्ट द्वारा किया गया है जो कम्पनी की ओर से औथराईज परसन अब्दुल्ला रहमान पुत्र श्री रहमान रसूला मेव निवासी जी–98, लाल कुआ देहली के माध्यम से किया गया है। इसलिये ऑथराईज परसन का कम्पनी की खरीदशुद्वा आराजी में जरिये नामा0 दर्ज होकर खातेदार दर्ज होने का कोई कानूनी अधिकार नही है। ऐसी स्थिति में नामा0 संख्या 836 दिनांक 16.03.2010 में जो कम्पनी के साथ ऑथराईज परसन अब्दुल्ला रहमान का नाम नामा0 में दर्ज हुआ है काबिल स्वीकार येाग्य नही है। इस प्रकार अपील अपीान्ट तथ्य व वकील अपीलान्ट की बहस से तथा प्रस्तुत बयनामा दिनांक 09.02.2010 से यह तथ्य साबित होता है कि कम्पनी अपीलान्ट द्वारा जरिये ऑथराईज पर्सन के आराजी का क्रय किया गया है तथा नामान्तकरण संख्या 836 दिनांक 16.03.2010 में कम्पनी के साथ जो ऑथराईज पर्सन अब्दुल्ला रहमान पुत्र श्री रहमान रसूला मेव का इन्द्राज किया गया है काबिल स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि आराजी का मुख्य क्रेता कम्पनी मै0 हरियाणा एक्सप्लोसिव नीर बसन्त कुन्ज नई दिल्ली 70 है तथा इसी के नाम आराजी का इन्तकाल दर्ज व स्वीकार होना चाहिए था। इस प्रकार अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकार योग्य पायी जाती है। अतः

आदेश है कि

अपील अपीलान्ट नामान्तकरण संख्या 836 दिनांक 16.03.2010 खसरा नम्बर 1494/0.01, 1495/0.10, 1499/0.03 वाके ग्राम राजपुर बडा तहसील राजगढ स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 836 दिनांक 16.03.2010 की कार्यवाही निरस्त करते हुए तहसीलदार राजगढ को आदेश दिए जाते हैं कि वो मुताबिक बयनामा दिनांक 09.02.2010 के अनुसार नियमानुसार कम्पनी मै0 हरियाणा एक्सप्लोसिव नीर बसन्त कुन्ज नई दिल्ली 70 के नाम नामान्तकरण दर्ज कर निस्तारण करने की कार्यवाही करें। पालना हेतु तहसीलदार राजगढ को निर्णय प्रति भिजवायी जावे।

(विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)